

भारत में नारी शिक्षा का महत्त्व

डॉ० नीलम कुमारी

सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग, अए०पी०बी०एस० महाविद्यालय, नदौल, मसौढ़ी, पटना

भारत ही नहीं संसार के किसी भी देश में शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा का धर्म ही है—लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करना। पारंपरिक शिक्षण पद्धति द्वारा सबको शिक्षित कर पाना संभव नहीं है, अतएव शिक्षा को यदि सार्वजनिक बनाना है तो दूरस्थ शिक्षा एक बेहतर विकल्प है। भारत में उच्चतर शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता बड़ी ही शिद्ध से महसूस की जा रही है। अंतर अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्जन और उपयोग आज समय की माँग है। ज्ञान आयोग के रिपोर्ट का गहराईपूर्वक अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। आज जरूरत आन पड़ी है कि समय के सीने पर खुदे युग के नये संकेतों को पढ़ा जाए। महत्त्व इस बात की नहीं कि आप कितने पढ़े हैं? बल्कि महत्त्व इस बात का है कि आप किस तरह से पढ़े हैं? आपके दिल और दिमाग के दरवाजे दुनिया के लिए कितने खुले हैं आप चुनौतियों के सुअवसरों में कैसे बदल पाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण आधार है जो हमें समायोजन में मदद करती है। मानव में ज्ञान, कुशलता, क्षमता और दक्षता में वृद्धि शिक्षा द्वारा ही संभव है। भारत में महिला शिक्षा वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समाज के आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास के लिए महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक है पर आज भी भारत में महिला साक्षरता मात्र 65.46: प्रतिशत है। महिलाओं की शिक्षा का देश में सफल विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है इसलिए स्त्री शिक्षा यदि समाज के हर परिवार में स्थान हासिल कर ले तो वह दिन दूर नहीं जब समाज में आए दिन घटित होने वाली अत्यन्त कारुणिक घटनाएँ भी बन्द हो जायेगी। अतः देश एवं समाज की उन्नति के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने अथवा प्रयास करने होंगे ताकि समाज में व्याप्त कुरीतियों का अन्त हो सके और चहुँमुखी विकास, समृद्धि व खुशहाली आ सके। महिलाएँ शिक्षित होंगी तभी देश का, समाज का सही मायनों में विकास होता है। शिक्षा सम्पूर्ण मानव विकास की मौलिक कुँजी है। किसी भी समाज की प्रगति का मूल्यांकन उसके शैक्षिक स्तर के आधार पर किया जाता है क्योंकि शिक्षा ही वह एकमात्र साधन है जो व्यक्ति में विवेक को विकसित कर उसे विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाता है। इसी कारण वर्तमान युग को ज्ञान—विज्ञान का युग कहा जाता है। विचार करने के लिए हमारे सामने समस्याओं का ढेर लगा हुआ है लेकिन उन समस्याओं में सबसे अहम समस्या है—महिलाओं को अशिक्षित

होना क्योंकि अभी स्त्रियों की शैक्षणिक अवस्था काफी कम है और इसका प्रमुख कारण है—ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं का घोर अभाव तथा स्त्रियों को गृह कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहना। अब चिन्तन का विषय है कि यदि आधी आबादी अशिक्षित है, तो समाज का विकास कैसे संभव हो पायेगा? इसलिए भारतीय नारी शिक्षा पर बहुत ध्यान देने की जरूरत जान पड़ती है। चूँकि अधिकांश महिलाएँ (शहरी क्षेत्र के हों अथवा ग्रामीण क्षेत्र के) भारतवर्ष में गृह—कार्य करने से जुड़ी रहती है। उन्हें स्कूल, कॉलेज आदि संस्थाओं में जाने में कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में उनके गृह कार्यों को पूरा करते हुए शिक्षा से जोड़ना होगा। हमारे मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास घरों के सुधार और शैशवावस्था के सर्वाधिक संस्कारग्रही वर्षों में बच्चों के चरित्र निर्माण एवं स्वस्थ सुन्दर एवं समृद्ध समाज के निर्माण के लिए स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। स्वतंत्रता उपरांत भारत में स्त्री शिक्षा के विकास के सार्थक प्रयास हुए, कई विकासोत्तम योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए गये हैं, परिणामस्वरूप सुधार भी परिलक्षित होता है लेकिन सुधार की गति संतोषजनक नहीं है इसलिए स्त्री शिक्षा पर ध्यान देते हुए कई समीतियों एवं आयोग जैसे— विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948—49) स्त्री शिक्षा तथा शिक्षा आयोग (1964—66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) आदि का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्त्री शिक्षा के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुई। कहा गया है जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं—स्त्री और पुरुष। दोनों के सहयोग एवं सामंजस्य से ही जीवन रूपी गाड़ी चल सकती है स्पष्ट है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों की आवश्यकता समान रूप से होती है और इसके महत्त्व को स्वीकार भी किया गया है। परन्तु स्त्रियों की शिक्षा सदैव पुरुषों के बराबर नहीं है। इनकी शिक्षा में हमेशा गिरावट होती जा रही है। अशिक्षा के कारण स्त्रियों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी जाती है और उन्हें पठन—पाठन का मौका नहीं दिया जाता था। छोटे उम्र से बच्चों को जन्म देने एवं परिवार के जिम्मेदारियों के कारण इनका व्यक्तित्व कुटित हो जाता था। वे अपने परिवार के सेवा में ही अपना जीवन न्योछावर कर देती थी। शिक्षा के अभाव में न तो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो पाती थी और न किसी कार्य विशेष के प्रति प्रशिक्षित ही। इससे सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों का सहयोग बढ़ता गया और

स्त्रियों का दायरा परिवार के अन्दर ही सिमट कर रह गया। साक्षर होने पर वह सम्बन्धित साहित्य को पढ़कर जान सकती है कि उन्हें क्या हक है? सरकार एवं सामाजिक संगठनों से क्या और किस प्रकार मदद मिल सकती है? कानून ने उन्हें क्या संरक्षण और अधिकार दिये हैं? पढ़ी-लिखी महिला प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अफसर, वकील, डाक्टर बनकर खुद अपने परिवार एवं अन्य महिलाओं का संरक्षण कर सकती है। व्यवसाय एवं कृषि में पढ़ी- लिखी महिला नवीन तकनीकी और संचार के साधनों का उपयोग कर लाभ कमा सकती है। पढ़ी-लिखी महिला अपने परिवार को सीमित रखते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वच्छ वातावरण एवं उत्तम पोषण दे सकती है।

निरक्षर नारी रूढ़ियों को जकड़ी रहती है। अपने परिवार में बच्चों में भेदभाव रखती है। बच्चियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में नहीं होती। वह पति के घर में पुरुष प्रधान व्यवस्था में दबी सहमी रहती है। उत्पीड़न एवं यौन शोषण जैसे घटनाओं का भी विरोध नहीं कर सकती उसमें नारी सम्मान की चेतना नहीं होती।

सरकार ने सभी को साक्षर करने के लिए गाँव-गाँव में विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र तथा मुहल्ले-मुहल्ले में साक्षरता केन्द्र खोले हैं। सभी निरक्षर और अशिक्षित महिलाओं को वहाँ जाकर शिक्षित होना चाहिए। निरक्षरता उन्मूलन से ही महिलाओं में जागृति और आत्मविश्वास पैदा हो सकता है।

एक ही माँ के जन्मे लड़के-लड़कियों में भेद और वह भी स्वयं माँ के द्वारा यह दुर्भाग्य औरत जाति के अशिक्षा का ही परिणाम है, यदि वह समझती तो ऐसा नहीं होता। पशु भी अपने बच्चों को समान रूप से पालते हैं और स्नेह भी कहते हैं। यदि समाज का कथन है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, पतन का कारण है, तो यह गलत नहीं है। वास्तव में यह भावना ही औरत के पतन का एक मुख्य कारण है। वास्तव में यह भावना पुरुष प्रधान समाज की देन है जो नारी में संस्कार बन चुकी है। जाहिर है कि माँ और पिता का यह सोच सामाजिक रूढ़ियों और संस्कारों से उपजा है, जिसे शिक्षा से दूर किया जा सकता है। इसलिए भारत के उत्थान के लिए नारी शिक्षा सर्वोपरि है।

नशेबाज का पारिवारिक ढाँचा नष्ट हो जाता है। समाज में सम्मान नहीं रहता। बच्चों और पत्नी की मारपीट, क्लेश, भुखमरी रोजमर्रा की बात है। परिणामतः बच्चे बाल श्रमिक, भिखारी, चोर हो जाते हैं, बच्चियाँ देह व्यापार में फँस जाती हैं। देखा-देखी महिलाएँ एवं बच्चे भी नशा करने लग जाते हैं यदि महिला पढ़ी-लिखी रहें तो वह अपने घर एवं परिवार में सुधार लाकर अच्छी जीवन व्यतीत कर सकती है। आंध्रप्रदेश की महिला ने ऐसा कर दिखाया है।

प्रायः अशिक्षित महिलाएँ घरेलू काम-काज में इतनी व्यस्त रहती हैं कि उन्हें घर, परिवार एवं बच्चों की सफाई का

समय नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि स्वयं भी शारीरिक और वस्त्रों की सफाई नित्य नहीं कर पाती। परिणामस्वरूप घर में दूषित वातावरण, बीमारी एवं गंदगी छा जाती है। बदलते युग एवं विकसित समाज में अब अल्पशिक्षित महिलाएँ स्वयं बच्चों एवं घर को साफ रखने लगी हैं। लेकिन घर का गंदा पानी एवं कचरा घर के बाहर नजदीक में ही डाल देती है। गंदे पानी से मच्छर, पैदा होते रहते हैं। गन्दगी पर मक्खी एवं अन्य किटाणु जन्म लेते रहते हैं और घर में घुसकर बीमारी पैदा करते हैं। अतः शिक्षा इनसे बचने का रास्ता अग्रसर करती है। आये दिन समाचार पत्रों में टी०वी० में देखने एवं सुनने को मिलता है बलात्कार परन्तु सरकार की ओर से बलात्कार के बारे में कानूनी व्यवस्था इस प्रकार है :

- स्त्री की इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करना।
- स्त्री को डरा धमका कर सम्भोग करना।
- स्त्री को धोखा देकर सम्भोग करना।
- पागल के साथ सम्भोग करना।
- मानसिक विकृति के लोगों के साथ सम्भोग करना।
- 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सम्भोग करना कानून अपराध के श्रेणी में माना गया है। इसके तहत धारा 376 के तहत 7 से 10 वर्ष की सजा की व्यवस्था है परन्तु इसकी जानकारी हो तभी न इसके लिए साक्षरता एवं कानूनी शिक्षा अतिआवश्यक है जो कि हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त हो सकता है।

मध्य युग में यह सामाजिक बुराईयों अपनी चरम सीमा पर थी। जात-पात, भेदभाव करते थे। निम्न वर्ग के लोगों का विद्यालय शिक्षा से वंचित रखा जाता था उसे बंधुआ महदूर मानते थे उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। बदलते हालात में यह बुराई दूर हो रही है। पढ़े-लिखे लोग यह समझने लगे हैं कि सभी ईश्वर के बनाये हैं। जन्म से कोई बड़ा छोटा या छुआछूत नहीं होता परन्तु महिलाओं में यह बुराई आज भी व्याप्त है जिसे शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षा ही वह सीढ़ी है जो हर लक्ष्य की ओर इंगित करती है।

इन मुद्दों पर महिलाओं को एक ओर किस प्रकार की गतिविधियाँ करनी चाहिए कि वह अपने ऊपर होने वाले अनावश्यक उत्पीड़न दैहिक शोषण का मुकाबला कर सकें एवं अपने अपने परिवार के स्तर में सुधार कर समाज को मजबूत बना सकें। महिलाओं में निरक्षरता अत्यधिक है। देश के 40 करोड़ निरक्षरों में 80 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। किन्तु सबसे बड़ा कारण है, महिलाओं में साक्षरता की तीव्र इच्छा का अभाव। पढ़ाई एक ऐसा साधन है जिससे महिलाएँ विकास के कार्यक्रम से जुड़ सकती हैं, कानूनी सहारा ले सकती हैं। इसलिए महिलाओं की साक्षरता और शिक्षा के कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भागीदारी होनी चाहिए। वर्तमान की पढ़ी लिखी महिला सामाजिक कुरीति के रूप में

दहेज और बाल-विवाह प्रथा का विरोध के रूप में संघर्ष कर सकती है। भारतीय महिला यदि पढ़ी-लिखी होगी तो उसका प्रभाव समाज एवं परिवार पर भी पड़ेगा। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए, चेतना संघ द्वारा रैली, असहयोग आन्दोलन, मीडिया एवं पत्र-लेखन का कार्य करना चाहिए। जागरूक लोगों को पुलिस सरकार एवं अन्य समाजसेवी संगठन सहयोग करने को तैयार रहते हैं। जब स्त्रियाँ शिक्षित होती हैं तब परिवार आगे बढ़ता है गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र भी अग्रसर होता है नारी तेरा दूसरा नाम सृष्टि है। नौ महीने और नौ दिन तक स्त्री जिस सावधानी और एकाग्रता से अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, उसी से धरती पर मानव सभ्यता का अस्तित्व बना है तो ये शिक्षित होगी तो विकास कैसे नहीं होगा।

दुनिया की ज्यादातर समाज व्यवस्था जहाँ घोषित तौर पर समाज में महिला-समानता और अधिकारों की पक्षधर रही है वहीं पितृसत्तात्मक समाज में भटके जीवन दर्शन के बीच महिलाएँ स्वयं को आज भी दबा हुआ महसूस कर रही हैं। बचपन से प्रौढ़ावस्था तक की पूरी जीवन यात्रा के बीच उसका जीवन वंचनाओं, असुरक्षा, निर्भयता और शोषण से होकर गुजरता है क्योंकि अपने शिक्षण एवं अधिकार से पूर्णतः वंचित है। आज हर क्षेत्र में महिलाएँ पूरी हिम्मत के साथ पुरुषों का एकाधिकार छीन रही हैं। इन महिलाओं की संख्या कम चले ही हो, किन्तु उनकी सफलता में रूढ़ियों, पुरानी वर्जनाओं और बाधाओं को तोड़ दिया है। आर्थिक आजादी और सामाजिक बदलाव से नारी को मुक्ति का जो एहसास हो रहा है, उससे निश्चय ही अवसरों को भुनाने और अपनी काबलियत को शिखर तक साबित करने की प्रवृत्ति उसमें जाग उठी है।

यह सच है कि ये दास्ताँ सौ फीसदी औरतों की तस्वीर नहीं हैं। चंद महिलाएँ ही ऐसे मुकाम हासिल करने में

कामयाब हो सकी है; किन्तु जो अहम है; वह ये कि अब ऐसी महिलाएँ अपवाद नहीं रह गई हैं। हर दूसरे क्षेत्र में मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ बेधड़क पुरुषों का एकाधिकार तोड़ रही हैं। इन महिलाओं की संख्या कम भले ही हों किन्तु उसकी सफलता से सदियों पुरानी वर्जनाओं और बाधाओं को तोड़ दिया है, ये सतत शिक्षा का परिणाम है।

भारतवर्ष में हर वर्ष एक लाख से अधिक महिलाएँ गर्भधारण के कारण मर जाती हैं। विकसित देशों की महिलाओं के मुकाबले भारतीय महिलाओं की गर्भधारण के कारण मरने की सम्भावना सौ गुणा अधिक है क्योंकि इस स्थान में शिक्षा का अभाव है इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त बहुत सी महिलाओं को दीर्घकालिक योगि संक्रमण, बंध्यता आदि के कारण आजीवन अपंगता का शिकार होना पड़ता है। गर्भधारण के कारण होने वाली अधिकांश मौतों को मामूली सावधानियाँ बरत कर टाला जा सकता है। अस्पताल में प्रसव कराना माता एवं नवजात शिशु को खतरों से बचाने के लिए आवश्यक है। इसके लिए परिवार का देखभाल एवं समझ आवश्यक है। परिवार एवं समुदाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी गर्भवती महिलाओं को जरूरी देखभाल जैसे-अच्छा और उचित पोषण, स्वच्छता, नियमित स्वास्थ्य जाँच, टिटनेस के टीके और लोहे की अतिरिक्त खुराक मिले। इन मामूली उपायों से गर्भधारण से सम्बन्धित अधिकांश मौतों और अपंगता से बचा जा सकता है।

अतः अन्ततः कहा जा सकता है कि घर, समाज, देश एवं राज्य के विकास के लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है इसके बिना एक कदम भी चलना मुश्किल जान पड़ती है तभी तो कहा जाता है जहाँ स्त्रियों की सम्मान होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। एक सभ्य समाज की कल्पना स्त्रियों के शिक्षा के बिना नहीं की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. अल्तेकर, ए०एस०, दी पोजीशन ऑफ वीमन इन हिन्दू सिविलिजेशन
2. कर्वे, इराबली, हिन्दू समाज में जाति व्यवस्था
3. कापड़ियाँ, के० एम०, मैहेज एण्ड फेमिली इन इण्डिया
4. प्रभु, पी०एन०, हिन्दू सोशियल आर्गेनाइजेशन
5. पणिकर, के०एम०, हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर
6. श्रीनिवास, एम०एन०, सोशियल चेंज इन माडर्न इंडिया
7. नारायण, सुधा, जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.